संख्या- 52/2018 /897/24-1-18-975 (उदय) /2016

प्रेषक:

इन्द्रराज सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 23 अप्रैल, 2018**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2018-19 में एफ0आर0पी0 के अन्तर्गत विततीय संस्थाओं से ली गयी अतिरिक्त वित्तीय सहायता के पुनर्भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-479/ मु0म0प्र (वित्त) /विप्र-2/आय-व्ययक/2018-19/341, दिनांक 03 अप्रैल, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में एफ0आर0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय संस्थाओं से ली गयी अतिरिक्त वित्तीय सहायता के पुनर्भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 588,23,00,000/- (रूपये पॉच सौ अठ्ठासी करोड़ तेईस लाख मात्र) मे से धनराशि रूपये 58,82,35,000/- (रूपये अठ्ठावन करोड़ बयासी लाख पैंतीस हजार मात्र) पी0एफ0सी0 नई दिल्ली को किये जाने वाले मूलधन पुनर्भुगतान हेतु स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- उक्त प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक ''2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय-17-विद्युत वितरण कम्पनियों के आपरेशनल लॉस (2014-15 तक) की फन्डिग हेतु ऋण (रूपये 4000 करोड़) के मूलधन की अदायगी की यू0पी0पी0सी0एल0 को प्रतिपूर्ति-20-सहायक अनुदान- सामान्य (गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई- 10 - यू0ओ0 -82 / दस - 2018, दिनांक 19 अप्रैल, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 52/2018/897(1)/24-1-18, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in